न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 113/17
निर्णय दिनांक: 22.06.2018

1. कमलादेवी पत्नि मन्नाराम
2. रामदयाल पुत्र भोमाराम
3. श्रवण पुत्र भोमाराम
4. सम्पतिदेवी पुत्री भोमाराम
   समस्त जाति बलाई नि0 धैनपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक

प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा खातेदारी

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से है कि वादीगण नाथू पुत्र काना बलाई के विधिक वारिस व उत्तराधिकारी है। उक्त वंशावली के अनुसार स्व0 नाथू पुत्र काना व उसकी पत्नि स्व0 छोटी के एकमात्र जायंदा पुत्री गंगादेवी थी जिसके दो पुत्रीया क्रमशः राधादेवी व कमलादेवी है जिनमें राधादेवी का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसों में रामदयाल, श्रवण, सम्पतिदेवी जीवित है इस प्रकार विवादित आराजी पर वर्तमान मे केवल मात्र वादीगण काबिज होकर काश्त कर उसका उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। वादीगण सं0 1 के नाना व वादी सं0 2 लगा0 4 के परनाना नाथू पुत्र काना के कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी खं0नं0 1 रकबा 3 बीघा 18 विस्वा वाकै ग्राम सामलपुरा तह0 सांभर जिला जयपुर में स्थित है जिस पर वादीगण संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजी जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 में नाथू पुत्र काना बलाई की खातेदारी में दर्ज है नाथू पुत्र काना का स्वर्गवास दिनांक 05.02.79 को हो चुका है जिसकी मृत्यु का इंन्द्राज ग्राम पंचायत शार्दुलपुरा ने दर्ज कर प्रमाण पत्र दिनांक 18.06.14 को जारी किया है तथा नाथू पुत्र काना की पत्नि स्व. छोटीदेवी का स्वर्गवास दिनांक 05.07.82 को हो चुका है इन दोनों की एकमात्र जांयदा पुत्री गंगादेवी का स्वर्गवास दिनांक 25.07.90 को हो चुका है तथा गंगादेवी की पुत्रीयों क्रमशः राधादेवी व कमलादेवी में से राधा देवी का स्वर्गवास दिनांक 14.09.10 को हो चुका है तथा नाथू पुत्र काना के वारिसों में केवल मात्र वादीगण ही विधिक वारिस व उत्तराधिकारी है इस कारण उक्त आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उत्तराधिकारी होने की हैसियत से काबिज होकर उस पर काश्त कर उसका उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। विवादित आराजी पर वादी सं0 1 का 1/2 हिस्सा तथा वादी सं0 2 लगा0 का 1/2 हिस्सा है तथा इसी अनुसार मौके पर काबिज होकर उसका उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। वादीगण ग्रामीण परिवेश के साधारण व्यक्ति है जो कानून कायदों से अन्नभिज्ञ है जो उक्त आराजी पर अपने पूर्वजों की विरासत से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज के संबंध में

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

कोई जानकारी नहीं की हाल ही में वादीगण को ज्ञात हुआ कि उक्त आराजी के रिकोर्ड में उनके नाम का कोई इन्द्राज नहीं है तो वादीगण ने प्रतिवादी के समक्ष दिनांक 02.05.17 को प्रार्थना मय वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर विरासत अनुसार खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज करने का निवेदन किया जिसके पश्चात् दिनांक 06.06.17 को ग्राम पंचायत शार्दुलपुरा के अटल सेवा केन्द्र में विरासत का नामान्तकरण स्वीकृत कर खातेदारी में इन्द्राज करने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी ने वादीगण को न्यायालय से डिक्री लाने को कहा इस कारण यह वाद बाबत् घोषणा खातेदारी विरूद्ध प्रतिवादी पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र शार्दुलपुरा में पेश हुयी। तहसीलदार उपस्थित है।

वकील वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी वाकै ग्राम सामलपुरा, फोटो कॉपी प्रा0पत्र फौती नामान्तकरण खुलवाने बाबत तहसीलदार को प्रा0पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र नाथू, छोटीदेवी, गंगादेवी, राधादेवी, सिजरा प्रमाण पत्र पंचायत समिति दूदू व सिजरा प्रमाण पत्र पंचायत चैनपुरा पेश की है। उक्त वाद वादीगण ने नाथू पुत्र काना की विरासत के आधार पर खातेदारी घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है जिसकी जांच तहसीलदार फुलेरा द्वारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम के तहत की जाकर राजस्व अभिलेखों में नामान्तकरण की कार्यवाही की जा सकती है।

वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली व प्रतिवादी के जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के बाद वादीगण का वाद आंशिक डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीया का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि आराजी खं0नं0 1 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा वाकै ग्राम सामलपुरा तह0 सांगर जिला जयपुर में वादी सं0 1 एवं 2 मृतक नाथू पुत्र काना खातेदार के उतराधिकारी अधिनियम की धारा 8 की अनुसूची में वर्णित अनुसार वारिस है अथवा नहीं इस तथ्य की जांच राजस्थान भू–अभिलेख अधिनियम की धारा 135 (2) के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार फुलेरा पूर्ण जांच कार्यवाही करें तथा यदि मृतक के उक्त वादी संख्या 1 एवं 2 के अतिरिक्त अन्य वारिसान हो तो विधिवत जांच की जावें यदि उक्त जांच में वादी संख्या 1 एवं 2 अथवा अन्य कोई व्यक्ति मृतक खातेदार नाथू पुत्र काना का उत्तराधिकारी नहीं पाया जावें तो विधिवत राजगामी अधिनियम की धारा 4–6 के तहत समुचित कार्यवाही प्रस्तावित की जावें। निर्णय सुनाया गया निर्णय अनुसार तहसीलदार फुलेरा कार्यवाही कर पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प शार्दुलपुरा मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांगानेर